



केंद्रीय होम्योपैथी अनुसन्धान परिषद्

(स्वायत्त निकाय आयुष मंत्रालय, भारत सरकार)

CENTRAL COUNCIL FOR RESEARCH IN HOMOEOPATHY

जवाहर लाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसन्धान भवन

Jawahar Lal Nehru Bhartiya Chikitsa Avum Homoeopathy Anusandhan Bh

61-65 संस्थागत क्षेत्र, सामने डी-ब्लॉक जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058

61-65, Institutional Area, Opp. D-Block, Janakpuri, New Delhi - 110058



भारत 2023 INDIA

वसुधैव कुटुम्बकम्

ONE EARTH - ONE FAMILY - ONE FUTURE

मि. सं.7-13/2022-23/सीसीआरएच/ स्थापना/ परिपत्र/ 400 2

दिनांक: 3/1/2025


अत्यावश्यक

परिपत्र

अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह देखा गया है कि सीसीआरएच के कुछ संस्थानों/इकाइयों/अनुभागों द्वारा प्रशासन, वित्त, भंडार, अग्रिम, नियमों के पालन आदि से संबंधित कई कार्यों का ध्यानपूर्वक पालन और निष्पादन नहीं किया जाता है। नियमों के प्रतिबद्ध पालन के साथ विभिन्न आधिकारिक कार्यों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए हम सभी को निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

तदनुसार, सभी संबंधितों द्वारा अनुपालन के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएँ परिचालित की जाती हैं:

- यह जानकारी में आया है कि परिषद् के अधीन कई संस्थानों/इकाइयों ने अपने-अपने कार्यालयों में विभिन्न कार्यों को संचालित करने/पूरा करने के लिए भारी आकस्मिक अग्रिम प्राप्त किए हैं, लेकिन वे लंबे समय से असमायोजित पड़े हैं। ऐसे सभी संस्थानों/इकाइयों के प्रभारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे व्यक्तिगत रूप से जांच करें और 15.01.2025 तक उचित बिल/अग्रिमों का समायोजन प्रस्तुत करें। उपरोक्त मामले में किसी भी लंबित होने की स्थिति में व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने के अलावा नियमों के अनुसार दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा। सीसीआरएच के लेखा अधिकारी/लेखा अनुभाग उचित अग्रिम समायोजन बिल प्राप्त होने पर तुरंत अग्रिमों का समायोजन/परिसमापन सुनिश्चित करेंगे।
- यह देखा गया है कि कई इकाइयों/संस्थान संबंधित वित्तीय शक्तियों के साथ पहले से ही निहित होने के बावजूद सीसीआरएच मुख्यालय को प्रस्ताव भेजते रहते हैं। ऐसी कार्रवाई निरर्थक है और अनावश्यक रूप से मुख्यालय के कामकाज पर बोझ बढ़ाती है। इसलिए, सभी संबंधित प्रभारी अधिकारियों को शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार आवश्यक कार्यों का निर्वहन करने की सलाह दी जाती है।
- कार्यालयों/प्रयोगशालाओं/इकाइयों/परियोजनाओं/संस्थानों में सुचारु कामकाज सुनिश्चित करने तथा अधिदेश को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी माल, सामग्री, सेवा, इनपुट (संपूर्ण GeM) की खरीद के लिए प्रत्येक मामले में 50,000/- रुपये तक का व्यय समिति गठित किए बिना, मुख्यालय को संदर्भित किए बिना तथा कोटेशन आमंत्रित किए बिना किया जा सकता है। हालांकि दरों का औचित्य, सामग्री की गुणवत्ता, माल/सेवाओं की डिलीवरी के बाद भुगतान तथा आवश्यक प्रमाण पत्र सुनिश्चित करना होगा। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक खरीद GeM के माध्यम से की जाए। यदि वस्तु या सेवा GeM पर उपलब्ध नहीं है, तो GeM पोर्टल से स्क्रीनशॉट/अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है तथा उसके बाद स्थानीय बाजारों से वस्तुओं, सेवाओं की खरीद की जा सकती है।
- सभी संबंधितों को यह भी सूचित किया जाता है कि स्वीकृत यात्रा पूरी होने के बाद यात्रा व्यय बिल, यात्रा रिपोर्ट के साथ 15 दिनों की अवधि में प्रस्तुत किए जाएं। ऐसे बिलों को कार्यालय/लेखा द्वारा अगले 15 दिनों में संसाधित/समायोजित किया जाएगा।


3.01.2025
(डॉ. सुभाष कौशिक)
महानिदेशक

प्रतिलिपि:

- सीसीआरएच के अंतर्गत सभी संस्थानों/इकाइयों के प्रभारी अधिकारी।
- उप. महानिदेशक, सीसीआरएच मुख्यालय, नई दिल्ली।
- प्रशासन. प्रभारी, सीसीआरएच मुख्यालय, नई दिल्ली।
- लेखा अधिकारी, सीसीआरएच मुख्यालय, नई दिल्ली।
- सभी अनुसंधान अधिकारी, सीसीआरएच मुख्यालय, नई दिल्ली।
- सभी वरिष्ठ सलाहकार/परामर्शदाता, सीसीआरएच मुख्यालय, नई दिल्ली।
- आईटी प्रबंधक, सीसीआरएच मुख्यालय, नई दिल्ली को परिषद् की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
- प्रेषण अनुभाग/नोटिस बोर्ड, सीसीआरएच मुख्यालय, नई दिल्ली।


महानिदेशक



केंद्रीय होम्योपैथी अनुसन्धान परिषद्

(स्वायत्त निकाय आयुष मंत्रालय, भारत सरकार)

CENTRAL COUNCIL FOR RESEARCH IN HOMOEOPATHY

(An Autonomous Body of Ministry of AYUSH, Govt. of India)

जवाहर लाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसन्धान भवन

Jawahar Lal Nehru Bhartiya Chikitsa Avum Homoeopathy Anusandhan Bhawan

61-65 संस्थागत क्षेत्र, डी-ब्लॉक के सामने, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058

61-65, Institutional Area, Opp. D-Block, Janakpuri, New Delhi - 110058



F. No. 7-31/2022-23/CCRH/Estt/Circular/ 4002

Dated: 3-01-2025


Urgent

CIRCULAR

It has been observed by the undersigned that many works related to administration, finance, stores, advances, adherence to rules etc. are not attentively followed and executed by some Institutes/Units/Sections of CCRH. In order to ensure speedy disposal of various official works with committed adherence to rules we all have to follow prescribed guidelines.


Accordingly, the following arrangements are hereby circulated for compliance by all concerned:

- i. It has come to knowledge that many Institutes/Units under the Council have drawn hefty contingent advances for operating/completing various functions in their respective offices but the same are lying unadjusted since a long time. Incharges of all such Institutes/Units are hereby instructed to personally look into and submit proper bills/adjustment of advances latest by 15.01.2025. In case of any pendency in the above matter, penal interest as per rules will be charged apart from fixation of personal responsibility. Accounts Officer/Accounts Section of CCRH will immediately ensure adjustment/liquidation of advances on receipt of proper advance adjustment bills.
- ii. It is seen that many Units/Institutes keep on sending proposals to CCRH Hqrs despite concerned financial powers already vested with them. Such an action is futile and unnecessarily adds up burden on Hqrs functioning. Hence, all concerned Officer Incharges are hereby advised to discharge necessary functions as per the delegation of powers.
- iii. Ours is a Scientific/Medical organization devoted for Medical Research for the ultimate welfare of the mankind. Keeping in view the mandate and ensuring smooth working in Offices/Laboratories/Units/Projects/Institutes, it is decided that for purchase of any goods, materials, services, inputs (thorough GeM) expenditure to the tune of Rs.50,000/- in each case can be incurred without constituting a committee, referring to Hqrs. and inviting quotations. However reasonability of rates, quality of material, payment after delivery of goods/services and necessary certificate will have to be ensured. It may also be ensured that each & every purchase is done thorough GeM. In case items or services are not available on GeM, the screenshot/ non availability Certificate from GeM portal may be obtained and then items, services may be procured thorough local markets.
- iv. It is also informed to all concerned that the TA bills after completion of approved journey be submitted alongwith tour reports in a period of 15 days. Such bills will be processed /adjusted in next 15 days by the office/accounts.


(Dr. Subhash Kaushik)
Director General

Copy to:

1. Officer Incharges of all Institutes/Units under CCRH.
2. Dy. Director General, CCRH Hqrs., New Delhi.
3. Admn. Incharge, CCRH Hqrs., New Delhi.
4. Accounts Officer, CCRH Hqrs., New Delhi.
5. All Research Officers, CCRH Hqrs., New Delhi.
6. All Sr. Consultants/Consultants, CCRH Hqrs., New Delhi.
7. IT Manager, CCRH Hqrs., New Delhi for uploading it on Council's website.
8. Dispatch Section/Notice Board, CCRH Hqrs., New Delhi.


Director General